**निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, चित्तौड़गढ़**

**पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस0)**

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 37 / 2021

**उनवान**

लालू सिंह पिता शिव सिंह उम्र 48 वर्ष पेशा काश्त निवासी सांखलों का ढूंढा ग्राम पंचायत सणीता तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी.......

बनाम

श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा. रावतभाटा, जिला–चित्तौडगढ ।

विपक्षी......

**अपील अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक प्राथी

**निर्णय** दिनांक 25.03.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत विपक्षी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सांखलों का ढूंढा ग्राम पंचायत सणीता प0ह0 बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ में खाता संख्या 13 आराजी नंबर 26 / 115 रकबा 0.22 है0 लगानी 3.30 पैसे खातेदारी मे नरपतसिंह पिता शिव सिंह राजपूत के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का असल नाम लालू सिंह पिता शिव सिंह है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों जैसे राशनकार्ड,बैंक ऑफ बडौदा के बचत खाते, पत्नी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, स्वयं के आधार कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड, समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का लालू सिंह ही अंकित है। जबकि कृषि आराजीयात में नरपत सिंह दर्ज है। जिससे प्रार्थी को बैंक ऋण में किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं में परेशानी होती है। इस हेतु प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नरपत सिंह के बजाय नाम लालू सिंह अंकित कराने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत सणीता द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई, सरपंच द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम नरपत सिंह उर्फ लालू सिंह एक ही व्यक्ति का नाम होना प्रमाणित किया गया है व प्रकरण में तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 बाडोल्यि द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार नरपत सिंह व लालू सिंह अलग–अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लालू सिंह अंकित कराना चाहता है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। हस्ब रिपोर्ट ग्राम पंचायत सणीता तहसील रावतभाटा व तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम नरपत सिंह के स्थान पर प्रार्थी का नाम लालू सिंह किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सांखलों का ढूंढा पटवार मण्डल बाड़ोलिया की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खतौनी संख्या 13 में अंकित प्रार्थी का नाम नरपत सिंह के बजाय लालू सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़

Scanned with CamScanner